

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

### महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बन्धित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंघनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरे उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिह्नित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो, तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

\*\*\*\*\*

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book" and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

\*\*\*\*\*

**FOR EVALUATOR'S USE ONLY**

**EVALUATION TABLE**

Q.NO.	MARKS	Q.NO.	MARKS
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	

Examiner's Remarks (if any)

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

**Note:** Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

**Question No. 1**

**[03 Marks]**


Zahir Khan, SHO Kotwali, Jaipur arrested Harish in a murder case. On being produced before the Magistrate, he was remanded to police custody for 12 days. Zahir Khan did not provide food to Harish continuously for 04 days, as a result of which health of Harish started deteriorating. On 5th day, Superintendent of Police visited the police station and Harish complained about non-supply of food, consequently, Zahir Khan was suspended and immediately placed in police lines. Ashok Kumar was posted as SHO, who illegally omitted to supply food to Harish for next 04 days, resultantly, Harish dies of hunger. What offence Zahir Khan and Ashok committed? Explain with relevant provisions of law.

**प्रश्न संख्या 1**

जहीर खान, कोतवाली जयपुर का भारसाधक अधिकारी, ने हत्या के मामले में हरीश को गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उसे 12 दिन की पुलिस अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। जहीर खान ने निरन्तर चार दिनों तक हरीश को भोजन उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप हरीश का स्वास्थ्य क्षीर्ण होने लगा। पांचवे दिन पुलिस अधीक्षक पुलिस थाना आया और हरीश ने भोजन नहीं देने की शिकायत की। परिणामस्वरूप जहीर खान को निलम्बित किया गया और तुरन्त पुलिस लाईन भेजा गया। अशोक कुमार भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित हुआ जिसने हरीश को अगले चार दिनों तक भोजन देने का अवैध रूप से लोप किया। फलस्वरूप हरीश भूख से मर जाता है। जहीर खान और अशोक ने क्या अपराध कारित किया? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

**Question No. 2**

**[03 Marks]**



M/s. Ram Industries is having two directors i.e. Mr. Ram and the District Magistrate of that district. A complaint is filed for the offence punishable under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881. Discuss briefly about the liability of the District Magistrate being prosecuted in the capacity of director.

**प्रश्न संख्या 2**

मै. राम इन्डस्ट्रीज के दो निदेशक हैं जो कि श्री राम तथा जिले का जिला मजिस्ट्रेट हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु एक परिवाद प्रस्तुत किया गया। निदेशक के रूप में अभियोजित किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के दायित्व के सम्बन्ध में संक्षेप में वर्णन कीजिए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Question No. 3

[03 Marks]

During the investigations of a first information report lodged u/s 420 IPC, investigating officer reached at conclusion that an offence punishable u/s 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is also made out. He collected the cheque dated 13.10.2021, Memo of presentation of cheque for encashment dated 31.10.2021, Cheque dishonor memo dated 07.11.2021, Copy of notice dated 18.11.2021 issued by the complainant to the accused and postal receipt thereof. After completion of investigation charge sheet for the offences punishable under section 420 IPC and 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is filed in the court on 10.12.2021. Whether Magistrate can proceed against the accused for the offence under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 also? Discuss.

प्रश्न संख्या 3

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दण्डनीय अपराध भी बनता है। उसने चैक दिनांकित 13.10.2021, चैक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत करने का ज्ञापन दिनांकित 31.10.2021, चैक अनादरण ज्ञापन दिनांकित 07.11.2021, परिवादी द्वारा अभियुक्त को जारी किए गये सूचना पत्र दिनांकित 18.11.2021 की प्रति और उसकी डाक रसीद एकत्र की। अनुसंधान के पूर्ण होने के पश्चात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु न्यायालय में आरोप पत्र 10.12.2021 को

प्रस्तुत किया। क्या मजिस्ट्रेट परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध हेतु भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रवृत्त हो सकता है? विवेचित कीजिए।

**Question No. 4**

**[03 Marks]**

State briefly about the disqualifications of a person for appointment as a member of Juvenile Justice Board.

**प्रश्न संख्या 4**

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की निर्योग्यताओं के सम्बन्ध में संक्षेप में बताइए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Question No. 5

[03 Marks]

Write a short note about the constitution of Internal Complaint Committee under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

प्रश्न संख्या 5

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे में लघु लेख लिखिए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Question No. 6

[03 Marks]

Explain in short the definition of "Sexual Harassment" under The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

प्रश्न संख्या 6

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "लैंगिक उत्पीड़न" की परिभाषा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

Question No. 7

[03 Marks]

What is the procedure to record the statement of victim by the police during the course of investigation in a case under The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012?

प्रश्न संख्या 7

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा पीड़ित के कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया क्या है?

Question No. 8

[03 Marks]

What offense is committed by husband if he indulges in sexual intercourse with his own wife, if age of the wife is below 18 years? Explain with relevant provisions and case law.

प्रश्न संख्या 8

पति द्वारा क्या अपराध कारित किया गया जब वह उसकी स्वयं की पत्नी, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, के साथ लैंगिक सम्भोग में लिप्त होता है? सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णित विधि सहित व्याख्या कीजिए।

**Question No. 9**

**[03 Marks]**

Ramesh and Sunita, though not married but are living under one roof as husband and wife. Ramesh committed domestic violence with Sunita. Whether Sunita can file a complaint against Ramesh under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005? Explain in brief with relevant provisions of law.

**प्रश्न संख्या 9**

रमेश और सुनीता, जो विवाहित नहीं हैं लेकिन पति व पत्नी की तरह एक छत के नीचे साथ रह रहे हैं। रमेश, सुनीता के साथ घरेलू हिंसा करता है। क्या सुनीता रमेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकती है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।

**Question No. 10**

**[03 Marks]**

20 years & 6 months old Ramesh is convicted for an offence punishable under section 304 II of Indian Penal Code, 1860. Whether such accused has a right to be released on probation? Explain with the help of relevant provision and case law.

**प्रश्न संख्या 10**

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 II के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में 20 वर्ष एवं 6 माह की उम्र के रमेश को दोषसिद्ध किया जाता है। क्या ऐसा अभियुक्त परीवीक्षा पर छूटने का अधिकार रखता है? सुसंगत प्रावधान और निर्णित विधि की मदद से व्याख्या कीजिए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

Question No. 11

[04 Marks]



Akash and Bhushan commit robbery. Akash at the time of committing robbery threatened the victim with a pistol which he was carrying but did not fire. Both were convicted under section 392 and 397 IPC. Explain the legality of the judgement.

प्रश्न संख्या 11

आकाश एवं भूषण ने लूट कारित की। लूट कारित करते समय आकाश ने पिस्तौल, जो वह धारित करता था, से पीड़ित को धमकाया परन्तु पिस्तौल नहीं चलाई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एवं 397 के अंतर्गत दोनों को दोषसिद्ध किया गया। निर्णय की वैधता को स्पष्ट कीजिए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Question No. 12

[04 Marks]

Whether the Magistrate is precluded to pass a sentence, in an application under section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?

प्रश्न संख्या 12

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से अधिक की सजा सुनाने से निवारित है?



Question No. 13

[04 Marks]

(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive terms". Explain.

(b) Explain "refreshing memory" of the witness with the help of relevant provision.

प्रश्न संख्या 13

(अ) "'सुसंगतता' और 'ग्राह्यता' सह-व्यापक पद नहीं हैं"। विवेचित कीजिए।

(ब) सुसंगत प्रावधान की सहायता से साक्षी की "स्मृति ताजा करना" को स्पष्ट कीजिए।

(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive terms". Explain.

(अ) "'सुसंगतता' और 'ग्राह्यता' सह-व्यापक पद नहीं हैं"। विवेचित कीजिए।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**प्रश्न संख्या 14**

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कितने प्रकार की अपीलें प्रावधानित हैं?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Question No. 15**

**[04 Marks]**

What care the court should take to record the statement of victim in cases under the provisions of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012? Explain with the relevant provisions of law and case law.

**प्रश्न संख्या 15**

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत मामलों में पीड़ित के कथन लेखबद्ध करने में न्यायालय को क्या ध्यान रखना चाहिए? सुसंगत प्रावधानों व निर्णित विधि सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No. 16

[06 Marks]



Define any three of the following -

- a) Thug
- b) Grievous Hurt
- c) Trafficking of person
- d) Extortion
- e) Robbery

प्रश्न संख्या 16

निम्न में से किन्हीं तीन को परिभाषित कीजिए -

- अ) ठग
- ब) गंभीर उपहति
- स) व्यक्ति का दुर्व्यापार
- द) उद्दापन
- य) लूट

a) Thug

अ) ठग



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

b) Grievous Hurt

ब) गंभीर उपहति

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

c) Trafficking of person

स) व्यक्ति का दुर्व्यापार

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

d) Extortion

द) उद्दापन

e) Robbery

य) लूट

Question No. 17

[06 Marks]

What shall be the effect of following defects in a criminal trial? Explain referring the relevant provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 and case laws -

- a. The Charge is defective.
- b. Judgment of conviction and sentence delivered in the absence of accused.
- c. Material Prosecution witnesses examined by the court without securing the presence of accused in the court.

प्रश्न संख्या 17


एक दाण्डिक विचारण में निम्नलिखित कमियों का क्या प्रभाव होगा? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत प्रावधानों और निर्णित विधि के संदर्भ देते हुए विवेचन कीजिए -

- अ. आरोप दूषित है।
- ब. दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय अभियुक्त की अनुपस्थिति में पारित किया गया।
- स. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना न्यायालय द्वारा तात्त्विक अभियोजन साक्षियों का परीक्षण।



**Question No. 18**

**[06 Marks]**



Distinguish between the following -

- a) Enquiry and Trial
- b) Discharge and Acquittal
- c) Summons Case and Warrant Case

**प्रश्न संख्या 18**

निम्नलिखित के बीच में विभेद कीजिए -

- अ) जांच एवं विचारण
- ब) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति
- स) समन मामला एवं वारण्ट मामला

a) Enquiry and Trial

अ) जांच एवं विचारण



b) Discharge and Acquittal

ब) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति

c) Summons Case and Warrant Case

स) समन मामला एवं वारण्ट मामला

Question No. 19

[06 Marks]


What is a dying declaration? Explain fully the law in India relating to the admissibility in evidence of a dying declaration. Can a dying declaration form the sole basis of a conviction? Explain with relevant provisions and case law.

प्रश्न संख्या 19

मृत्युकालिक कथन क्या है? मृत्युकालिक कथन की साक्ष्य में ग्राह्यता के विषय में भारत में विधि को पूर्ण रूप से विवेचित कीजिए। क्या मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है? सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णीत विधि सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No. 20

[06 Marks]



Explain **any three** in view of the definitions provided under The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 -

- a) Best interest of child
- b) Children court
- c) Fit facility
- d) Orphan
- e) Surrendered child


प्रश्न संख्या 20

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रावधानित परिभाषाओं का ध्यान रखते हुए किन्हीं तीन को स्पष्ट कीजिए -

- अ) बालक का सर्वोत्तम हित
- ब) बाल न्यायालय
- स) उचित सुविधा तन्त्र
- द) अनाथ
- य) अभ्यर्पित बालक

a) Best interest of child

अ) बालक का सर्वोत्तम हित



Handwritten lines for notes.

b) Children court

ब) बाल न्यायालय



Handwritten lines for notes.

c) Fit facility



स) उचित सुविधा तन्त्र

Handwritten lines for the answer to question c) Fit facility.

d) Orphan





द) अनाथ

Handwritten lines for the answer to question d) Orphan.

e) Surrendered child

य) अभ्यर्पित बालक



**Question No. 21****[10 Marks]**

Police Station Kotwali Alwar received information in the evening of 09.03.1992 that a truck RJ02 A 2233 had broken the forest department barrier and collided with a motorcycle. The receipt of this information (By means of telephonic conversation) alerted the police. Sub Inspector Radha Mohan along with others were stationed at vantage point, on the main road when the truck reached there. SI Radha Mohan signaled the truck to stop. It was being driven by the accused. Instead of applying brakes, the accused tried to speed away, upon which SI Radha Mohan tried to board the truck from its left side. Accused warned SI Radha Mohan not to do so and that he would be killed. Nevertheless, SI Radha Mohan boarded the truck. Immediately, the accused pushed him, as a result whereof SI Radha Mohan fell off the truck and was run over by its rear wheels and expired at the spot. Accused fled away with the truck. He was later caught and arrested.


Frame Charge and write a judgment.

**प्रश्न संख्या 21**

09.03.1992 की शाम को पुलिस थाना कोतवाली अलवर ने एक सूचना प्राप्त की कि एक ट्रक आर.जे. 02 ए 2233 ने वन विभाग के बेरीयर को तोड़ दिया और एक मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। इस सूचना की प्राप्ति (टेलिफोनिक बातचीत के साधनों द्वारा) ने पुलिस को सचेत कर दिया। उप-निरीक्षक राधा मोहन अन्य के साथ वैंटेज पॉइन्ट मुख्य सड़क पर खड़ा हो गया, जब ट्रक वहां पहुंचा। उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक को रूकने का इशारा किया। यह अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था। ब्रेक लगाने के बजाय, अभियुक्त ने रफ्तार से भागने की कोशिश की जिसपर उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक पर बायीं तरफ से चढ़ने का प्रयास किया। अभियुक्त ने उप-निरीक्षक राधा मोहन को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी अन्यथा वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक पर चढ़ गया। अभियुक्त ने तुरन्त उसे धक्का दिया, जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक से गिर गया और ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गया और मौके पर ही मर गया। अभियुक्त ट्रक सहित भाग गया। वह बाद में पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया।

आरोप विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए।



**Question No. 22****[10 Marks]**

On 26.05.2004, marriage function of the daughter of one Rama was going on in village Pipli. In the said marriage function Rama invited complainant Madhu Singh (PW 2) and his family members. In the afternoon between 3 to 4 pm, Sh. Mal Singh and Smt. Sajjan Bai, father and mother of the complainant went to the house of Rama as invitees. Madhu Singh was taking meal. At this juncture, accused Bonder, his sons accused Pappu and Munna reached there. They abused Mal Singh and ask him as to who had invited him. There was exchange of hot words and an altercation took place. Suddenly, Pappu dealt a lathi blow on the left side of the head of Mal Singh. Accused Munna also caused injury on left shoulder and left hand of Mal Singh. At that moment Madhu, Man Singh and Sajjan Bai, witnesses, rushed to save Sh. Mal Singh. Accused threatened these persons and escaped from the spot. Mal Singh was taken to the hospital where he scrummed to the injury on 27.05.2004. Accused were apprehended and produced before the court.

Frame Charge and write a judgment.

**प्रश्न संख्या 22**

26.05.2004 को, गांव पीपली में रामा की पुत्री का वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में रामा ने परिवादी मधु सिंह (पी.ड. 2) और उसके परिवार के सदस्यों को आमन्त्रित किया। दोपहर पश्चात 3 से 4 बजे के मध्य मल सिंह और सज्जन बाई, परिवादी के पिता और माता आमन्त्रित के रूप में रामा के घर गये। मधु सिंह भोजन ले रहा था। इस समय पर अभियुक्त बोंदर व उसके पुत्र अभियुक्तगण पप्पू और मुन्ना वहां पहुंचे। उन्होंने मल सिंह को गालियां निकालीं और उससे कहा कि उसे किसने आमन्त्रित किया। वहां तीखी बहस और तकरार हो गई। अचानक पप्पू ने मल सिंह के सिर के बाईं तरफ लाठी से वार किया। अभियुक्त मुन्ना ने भी मल सिंह के बायें हाथ और बायें कंधे पर उपहति कारित की। इसी क्षण पर मधु, मान सिंह और सज्जन बाई, साक्षीगण, श्री मल सिंह को बचाने के लिए दौड़े। अभियुक्त ने इन व्यक्तियों को धमकाया और मौके से भाग गए। मल सिंह को अस्पताल ले जाया

गया जहां वह चोट के कारण 27.05.2004 को मर गया। अभियुक्तगण पकड़े गए और न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

आरोप विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए।